राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

मनोज कुमार, *भा.प्र.से.*
कार्यपालक निदेशक

पत्रांकः-SHSB/G.A/RKSK/3438/2018 ....

सेवा में,

सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार।

पटना, दिनांक......................

विषयः- Covid-19 महामारी के दौरान एवं महामारी के बाद भी RMNCAH+N के अन्तर्गत Adolescent Health कार्यक्रमों के सेवाये प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भः- प्रीति सूदन, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार के पत्रांक संख्या 1762075/2020-Imm दिनांक 24.05.2020.

महाशय,

1. उपरोक्त संदर्भित विषयक सूचित करना है कि RMNCAH+N अन्तर्गत 'राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम' के तहत बिहार के विभिन्न जिलों में विभिन्न अवयवों पर लाभर्थियों को सेवायें हेतु संचालित है जिसमें Adolescent Friendly Health Clinic (Yuva Clinic),Weekly Iron Folic Acid Supplimentaion (WIFS), Peer Educator मुख्य है । कोविड-19 महामारी के दौरान किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम लाभाथियों तक पहुँचाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिसको ध्यान में रख कर भारत सरकार द्वारा RMNCAH+N के सभी कार्यक्रमों को संलग्न दिशा-निदेश का पालन करते हुये सेवायें उपलब्ध कराई जानी है उक्त के क्रम में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के निम्न अवयवों पर दिशा-निदेश का पालन करते हुए Covid-19 महामारी के दौरान एवं बाद में भी सेवायें उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है:-
2. **Yuva Clinic** :- राज्य के चयनित संबंधित जिलों में Yuva Clinic का संचालन प्रशिक्षित चिकित्सक, ANM ; RMNCAH+N Councellor के द्वारा निर्धारित कार्य दिवस में Yuva Clinic कक्ष में, Covid-19 महामारी से बचाव एवं अन्य दिशा-निर्देश का पालन करते हुए किया जाना है तद्पश्चात पूर्व के तरह प्रत्येक माह के 10 तारीख तक जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से राज्य के E.mail- rkskbihar20@gmail.com पर रिर्पोट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. **Peer Educater** :- राज्य के पूर्व के 10 HPD जिलों यथा अररिया, पूर्वी चम्पारण, गया, जमुई, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, शिवहर, सीतामढ़ी एवं पूर्णियाँ में संचालित है। उक्त जिलों में चयनित Peer Educater के सहयोग से Adolescent Health Day, Adolescent Friendly Club Meeting कार्यक्रम गाईड-लाईन का अनुपालन करते हुए गतिविधियों को संचालित करना सुनिश्चित करेंगे।

यह ध्यान रहे कि उपरोक्त गतिविधियों में शारिरिक दूरी एवं Covid-19 से बचाव हेतु आवश्यकता अनुरूप व्यवस्था तथा सक्षम अधिकारी/कर्मचारी से अनुमोदनोंपरान्त किया जाय । तत्पश्चात् उपरोक्त किये गये गतिविधियों का प्रतिवेदन जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से RKSK के ई मेल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. **सप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम :-**

लक्षित समुह :-

(क) 10 से 19 वर्ष अथवा कक्षा 6 से 12 वी तक विद्यालय जानेवाले किशोर-किशोरियाँ।

(ख) 10 से 19 वर्ष तक विद्यालय नहीं जाने वाली किशोरियाँ।

दवा की व्यवस्था :-

(i) विद्यालय जानेवाले किशोर-किशोरियाँ हेतुः-

Lockdown एवं उसके बाद परिवहन की व्यवस्था में कठिनाई होने के कारण IFA वितरण में परेशानी हो सकती है। अतः MOIC की जबाबदेही होगी कि अपने प्रखंड में उपलब्ध IFA गोली अथवा आवश्यकता का आकलन कर जिला भंड़ार शाखा अथवा BMSICL से समन्वय स्थापित कर Blue IFA की गोली का अपने भंडार में भंडारण कर उपस्वास्थ्य केन्द्रों पर ANM को उपलब्ध कराना सुनिशित करेंगे।

(a) आशा की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने पोषक क्षेत्र में शिक्षक,आँगनवाड़ी के सहयोग से प्रति किशोर-किशोरियो को प्रथम चरण में 1 Strips (15 गोली) देने हेतु आंकलन कर ANM को माँग पत्र देना सुनिश्चित करेंगी।

(b) ANM अपने कार्यक्षेत्र के समस्त माँग पत्र को संकलित कर MOIC कार्यालय में उपलब्ध करायेगी। तत्पश्चात् MOIC माँग पत्र के अनुरूप यथाशीघ्र सभी उपस्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक Blue IFA गोली की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे ।

(ii) विद्यालय नहीं जानेवाले किशोरियों हेतुः-

आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता पूर्व के तरह अपने पोषक क्षेत्र में किशोरियो की सूची अनुसार छः महीने की गोली का आकलन कर अपने-अपने सुपरवाईजर को माँग पत्र प्रस्तुत करेंगे। सुपरवाईजर सभी माँग पत्र को संकलित कर CDPO कार्यालय को प्रेषित करेगी। CDPO कार्यालय अपने क्षेत्र की आवश्यकतानुसार गोली की माँग पत्र MOIC को प्रेषित कर गोली की प्राप्ति करेंगे एवं ततृश्यात् सभी आँगबाड़ी केन्द्रों तक सुपरवाईजर के माध्यम से उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे।

दवा वितरण :-

(i) 10 से 19 वर्ष अथवा कक्षा 6 से 12 वी तक विद्यालय जानेवाले किशोर-किशोरियों को ANM से IFA गोली प्राप्त कर आशा अपने पोषक क्षेत्र के सभी लाभार्थियों के घर-घर जाकर 1 Strips Blue IFA (15 गोली) उनके अभिभावक के समक्ष दे कर खाने की विधि बतायेंगे (सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को नीली गोली ताजा पानी के साथ खाना खाने के बाद लेना है)।

यह व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक स्कूलों में पूर्व की तरह संचालित नहीं हो जाय तब तक उपरोक्त व्यवस्था लाभार्थियों तक सेवायें देने हेतु निरंतर जारी रखेंगे।

(ii) Lockdown अथवा सरकार द्वारा आँगनवाड़ी बंद रखने हेतु जब तक आपेक्षित है तबतक 10 से 19 वर्ष तक के विद्यालय नही जाने वाली किशोरियों को पूर्व की तरह आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता के द्वारा घर-घर जाकर 1 Strips IFA Blue Tablet (15 गोली) को उपलब्ध कराना सुनिशिचित करेगी एवं खाने की विधि इत्यादि पुनः बताई जायेगी।

मसिक प्रतिवेदनः-

(i) आँगबाड़ी सेविका पूर्व के तरह निर्धारित प्रारूप में सुपरवाईजर के माध्यम से CDPO कार्यलय में प्रत्येक माह के 05 तारिख तक प्रतिवेदन निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगी।

(ii) आशा वितरित किये गये गोली की विवरणी अपने डायरी मे दर्ज करेंगी।

(iii) आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता महीने में उपयोग की गई गोली की सूची सुपरवाईजर के साथ-साथ उसके एक प्रति आशा को भी उपलब्ध कराईगी।

(iv) आशा 10 से 19 वर्ष के विद्यालय जाने वाले तथा विद्यालय नही जानेवाले सभी किशोर-किशोरियों की IFA अनुपूरण की संकलित डाटा को आशा फेसिलिटेटर के माध्यम से MOIC कार्यालय में प्रखंड BCM / M&E निम्न प्रारूप में उपलब्ध करायेंगी।

	कुल प्राप्त गोली की संख्या	माह में कुल वितरण गोली की संख्या	लक्षित किशोर–किशोरियों संख्या		आंछादित किशोर –किशोरियों की संख्या		शेष बचे गोली की संख्या
			किशोर	किशोरी	किशोर	किशोरी	
Blue IFA (विद्यालय जाने वाले किशोर –किशोरियों हेतु)							
Blue IFA (विद्यालय नहीं जाने वाले किशोरियों हेतु)							

सामान्य सावधानियाँ :-

(i) आशा और आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता IFA Blue Tablet के समान्य दुष्प्रभावों जैसे मतली इत्यादि को रोकने के लिए मुख्य भोजन (दोपहर) के एक घटे बाद निश्चित दिवस यानि प्रत्येक बुधवार को सेवन करने का सलाह देगी।

किसी भी लाभार्थियों को गोली के सेवन करने से अनचाहे मतली इत्यादि होती है तो उनको रात के खाने के बाद IFA की खुराक का सेवन करना चाहिए असहज महसूस करने पर ORS दिया जाय अथवा ANM, MOIC अथवा अन्य स्वास्थ्य अधिकारी/कर्मचारी को सूचित किया जाना चाहिये।

(ii) सलाह दी जानी चाहिये कि दूध, कॉफी या कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ IFA का उपयोग नहीं करें। ये अवशोषित होने वाले लौह की मात्रा को कम कर सकती है।

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,
दूरभाष: 0612–2290328, फैक्स: 0612–2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

(iii) सलाह दी जानी चाहिये कि IFA का सेवन नींबू पानी के साथ कर सकते है इससे लौह तत्व का अवशोशण अच्छी तरीका से होगा ।

(iv) मल के काले पड़ने जैसी धटना समान्य है। कुछ लोग मतली, उलटी और पेंट में र्दद जैसे हल्के असुविधा का अनुभव कर सकते है। ऐसे में धबराना नहीं चाहिये।

(v) अन्य आकस्मिक स्थिति मे 104 टॉल फ्री नम्बर पर फोन कर प्रतिकूल घटना की सूचना अथवा उपलब्धत चिकित्सक से सलाह ली जा सकती है।

अनुलग्नकः-(i) प्रासांगिक पत्र एवं गाईड लाईन की प्रति।

(ii) RKSK अन्तर्गत जिला स्तरीय Fund Allocation (FMR wise) की संक्षिप्त सूची।

विश्वासभाजन

(मनोज कुमार)

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

An ISO 9001:2008 Certified Agency

मनोज कुमार, भा.प्र.से.
कार्यपालक निदेशक

पत्रांकः-SHSB/G.A/RKSK/3438/2018 ....

सेवा में,

सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार।

पटना, दिनांक......................

विषयः- Covid-19 महामारी के दौरान एवं महामारी के बाद भी RMNCAH+N के अन्तर्गत Adolescent Health कार्यक्रमों के सेवाये प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भः– प्रीति सूदन, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार के पत्रांक संख्या 1762075/2020-Imm दिनांक 24.05.2020.

महाशय,

1. उपरोक्त संदंभित विषयक सूचित करना है कि RMNCAH+N अन्तर्गत 'राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम' के तहत बिहार के विभिन्न जिलों में विभिन्न अवयवों पर लाभर्थियों को सेवायें हेतु संचालित है जिसमें Adolescent Friendly Health Clinic (Yuva Clinic),Weekly Iron Folic Acid Supplimentaion (WIFS), Peer Educator मुख्य है । कोविड-19 महामारी के दौरान किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम लाभाथियों तक पहुँचाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिसको ध्यान में रख कर भारत सरकार द्वारा RMNCAH+N के सभी कार्यक्रमों को संलग्न दिशा-निदेश का पालन करते हुये सेवायें उपलब्ध कराई जानी है उक्त के क्रम में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के निम्न अवयवों पर दिशा-निदेश का पालन करते हुए Covid-19 महामारी के दौरान एवं बाद में भी सेवायें उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है:-
2. **Yuva Clinic** :- राज्य के चयनित संबंधित जिलों में Yuva Clinic का संचालन प्रशिक्षित चिकित्सक, ANM ; RMNCAH+N Councellor के द्वारा निर्धारित कार्य दिवस में Yuva Clinic कक्ष में, Covid-19 महामारी से बचाव एवं अन्य दिशा-निर्देश का पालन करते हुए किया जाना है तदुपश्चात पूर्व के तरह प्रत्येक माह के 10 तारीख तक जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से राज्य के E.mail- rkskbihar20@gmail.com पर रिर्पोट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. **Peer Educater** :- राज्य के पूर्व के 10 HPD जिलों यथा अररिया, पूर्वी चम्पारण, गया, जमुई, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, शिवहर, सीतामढ़ी एवं पूर्णियाँ में संचालित है। उक्त जिलों में चयनित Peer Educater के सहयोग से Adolescent Health Day, Adolescent Friendly Club Meeting कार्यक्रम गाईड-लाईन का अनुपालन करते हुए गतिविधियों को संचालित करना सुनिश्चित करेंगे।

यह ध्यान रहे कि उपरोक्त गतिविधियों में शारिरिक दूरी एवं Covid-19 से बचाव हेतु आवश्यकता अनुरूप व्यवस्था तथा सक्षम अधिकारी/कर्मचारी से अनुमोदनोंपरान्त किया जाय । तत्पश्चात् उपरोक्त किये गये गतिविधियों का प्रतिवेदन जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से RKSK के ई मेल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. **सप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम :-**

लक्षित समूह :-

(क) 10 से 19 वर्ष अथवा कक्षा 6 से 12 वी तक विद्यालय जानेवाले किशोर-किशोरियाँ।
(ख) 10 से 19 वर्ष तक विद्यालय नहीं जाने वाली किशोरियाँ।

दवा की व्यवस्था :-

(i) विद्यालय जानेवाले किशोर-किशोरियाँ हेतुः-

Lockdown एवं उसके बाद परिवहन की व्यवस्था में कठिनाई होने के कारण IFA वितरण में परेशानी हो सकती है। अतः MOIC की जबाबदेही होगी कि अपने प्रखंड में उपलब्ध IFA गोली अथवा आवश्यकता का आकलन कर जिला भंड़ार शाखा अथवा BMSICL से समन्वय स्थापित कर Blue IFA की गोली का अपने भंडार में भंडारण कर उपस्वास्थ्य केन्द्रों पर ANM को उपलब्ध कराना सुनिशित करेंगे।

(a) आशा की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने पोषक क्षेत्र में शिक्षक,आँगनवाड़ी के सहयोग से प्रति किशोर-किशोरियो को प्रथम चरण में 1 Strips (15 गोली) देने हेतु आंकलन कर ANM को माँग पत्र देना सुनिश्चित करेंगे।

स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार

(b) ANM अपने कार्यक्षेत्र के समस्त माँग पत्र को संकलित कर MOIC कार्यालय में उपलब्ध करायेगी। तत्पश्चात् MOIC माँग पत्र के अनुरूप यथाशीघ्र सभी उपस्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक Blue IFA गोली की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

(ii) विद्यालय नहीं जानेवाले किशोरियों हेतुः-

आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता पूर्व के तरह अपने पोषक क्षेत्र में किशोरियो की सूची अनुसार छः महीने की गोली का आकलन कर अपने-अपने सुपरवाईजर को माँग पत्र प्रस्तुत करेंगे। सुपरवाईजर सभी माँग पत्र को संकलित कर CDPO कार्यालय को प्रेषित करेगी। CDPO कार्यालय अपने क्षेत्र की आवश्यकतानुसार गोली की माँग पत्र MOIC को प्रेषित कर गोली की प्राप्ति करेंगे एवं ततृश्यात् सभी आँगबाड़ी केन्द्रों तक सुपरवाईजर के माध्यम से उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे।

दवा वितरण :-

(i) 10 से 19 वर्ष अथवा कक्षा 6 से 12 वी तक विद्यालय जानेवाले किशोर-किशोरियों को ANM से IFA गोली प्राप्त कर आशा अपने पोषक क्षेत्र के सभी लाभार्थियों के घर-घर जाकर 1 Strips Blue IFA (15 गोली) उनके अभिभावक के समक्ष दे कर खाने की विधि बतायेंगे (सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को नीली गोली ताजा पानी के साथ खाना खाने के बाद लेना है)।

यह व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक स्कूलों में पूर्व की तरह संचालित नहीं हो जाय तब तक उपरोक्त व्यवस्था लाभर्थियों तक सेवायें देने हेतु निरंतर जारी रखेंगे।

(ii) Lockdown अथवा सरकार द्वारा आँगनवाड़ी बंद रखने हेतु जब तक आपेक्षित है तबतक 10 से 19 वर्ष तक के विद्यालय नही जाने वाली किशोरियों को पूर्व की तरह आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता के द्वारा घर-घर जाकर 1 Strips IFA Blue Tablet (15 गोली) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी एवं खाने की विधि इत्यादि पुनः बताई जायेगी।

मसिक प्रतिवेदनः-

(i) आँगबाड़ी सेविका पूर्व के तरह निर्धारित प्रारूप में सुपरवाईजर के माध्यम से CDPO कार्यलय में प्रत्येक माह के 05 तारिख तक प्रतिवेदन निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगी।

(ii) आशा वितरित किये गये गोली की विवरणी अपने डायरी मे दर्ज करेंगी।

(iii) आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता महीने में उपयोग की गई गोली की सूची सुपरवाईजर के साथ-साथ उसके एक प्रति आशा को भी उपलब्ध कराईगी।

(iv) आशा 10 से 19 वर्ष के विद्यालय जाने वाले तथा विद्यालय नही जानेवाले सभी किशोर-किशोरियों की IFA अनुपूरण की संकलित डाटा को आशा फेसिलिटेटर के माध्यम से MOIC कार्यालय में प्रखंड BCM / M&E निम्न प्रारूप में उपलब्ध करायेंगी।

	कुल प्राप्त गोली की संख्या	माह में कुल वितरण गोली की संख्या	लक्षित किशोर–किशोरियों संख्या		आंछादित किशोर –किशोरियों की संख्या		शेष बचे गोली की संख्या
			किशोर	किशोरी	किशोर	किशोरी	
Blue IFA (विद्यालय जाने वाले किशोर –किशोरियों हेतु)							
Blue IFA (विद्यालय नहीं जाने वाले किशोरियों हेतु)							

सामान्य सावधानियाँ :-

(i) आशा और आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता IFA Blue Tablet के समान्य दुष्प्रभावों जैसे मतली इत्यादि को रोकने के लिए मुख्य भोजन (दोपहर) के एक घटे बाद निश्चित दिवस यानि प्रत्येक बुधवार को सेवन करने का सलाह देगी।

किसी भी लाभार्थियों को गोली के सेवन करने से अनचाहे मतली इत्यादि होती है तो उनको रात के खाने के बाद IFA की खुराक का सेवन करना चाहिए असहज महसूस करने पर ORS दिया जाय अथवा ANM, MOIC अथवा अन्य स्वास्थ्य अधिकारी/कर्मचारी को सूचित किया जाना चाहिये।

(ii) सलाह दी जानी चाहिये कि दूध, कॉफी या कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ IFA का उपयोग नहीं करें। ये अवशोषित होने वाले लौह की मात्रा को कम कर सकती है।

(iii) सलाह दी जानी चाहिये कि IFA का सेवन नींबू पानी के साथ कर सकते है इससे लौह तत्व का अवशोशण अच्छी तरीका से होगा ।

(iv) मल के काले पड़ने जैसी धटना समान्य है। कुछ लोग मतली, उलटी और पेंट में र्दद जैसे हल्के असुविधा का अनुभव कर सकते है। ऐसे में धबरॉना नहीं चाहिये।

(v) अन्य आकस्मिक स्थिति मे 104 टॉल फ्री नम्बर पर फोन कर प्रतिकूल घटना की सूचना अथवा उपलब्धत चिकित्सक से सलाह ली जा सकती है।

अनुलग्नकः-(i) प्रासांगिक पत्र एवं गाईड लाईन की प्रति।

(ii) RKSK अन्तर्गत जिला स्तरीय Fund Allocation (FMR wise) की संक्षिप्त सूची।

विश्वासभाजन
ह०/-
(मनोज कुमार)

ज्ञापांक....1190.... पटना, दिनांक....03/6/2020

प्रतिलिपि :

1. सभी जिला पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. राज्य नोडल पदाधिकारी, WIFS, शिक्षा विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
3. राज्य नोडल पदाधिकारी, WIFS, समाज कल्याण विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सभी जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी-RKSK को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।
5. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।
6. सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ,ICDS, बिहार को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।
7. सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक (DPM), जिला समुदायिक उत्प्रेरक (DCM), जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।
8. निदेशक, SRU को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।
9. राज्य प्रतिनिधि -Unicef, Engender Health को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।

3/6/2020
कार्यपालक निदेशक

STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800 014
दूरभाष: 0612-2290328, 2281232 फैक्स: 2290322 Website: www.statehealthsocietybihar.org
स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार